

सं0 सं0—एस0आई0पी0बी0 20170000331.....

दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय—

मेसर्स पटेल एग्री इण्डस्ट्रीज, नालंदा द्वारा नूरसराय, नालंदा में क्षमता विस्तार राईस मिल ईकाई की स्थापना हेतु ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु0 34,77,676/- (चौंतीस लाख सतहत्तर हजार छ: सौ छिहत्तर रुपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:

स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स पटेल एग्री इण्डस्ट्रीज, नालंदा द्वारा नूरसराय, नालंदा में क्षमता विस्तार राईस मिल ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् की बैठक दिनांक 24.04.2017 को स्टेज-1 तथा दिनांक 27.12.2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन विलयरेन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम— 7 (2) (iii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग के पत्रांक—1349, दिनांक—09.08..2018 द्वारा ईकाई को दिनांक 06.04.2018 से कार्यरत बताया गया है। अतः ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को 07 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु0 34,77,676/- (चौंतीस लाख सतहत्तर हजार छ: सौ छिहत्तर रुपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन—उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू—राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय वहन 'राज्यादेश सं0—2060, दिनांक—11.06.18 एवं आवंटनादेश सं0—5/DI-B(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-13.06.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80—सामान्य, लघु शीर्ष 102—औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160—प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23—2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 ससिङ्गी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-२५ पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान पटेल एग्री इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० को उनके बैंक ऑफ इंडिया, बिहारशरीफ, नालंदा के खाता संख्या-४८६१३०११००००६२, IFS Code-BKID0004861में RTGS/NEFT/Bank Draft के माध्यम से की जाएगी।
9. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक—

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700331.....

प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक—

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700331.....

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक— 27-9-18

ज्ञापांक—एस०आई०पी०बी० 201700331.....

प्रतिलिपि:— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / अर्ड० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ में पटेल एग्री इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।